## AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN <br> THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF IRELAND

The Government of India and the Government of Ireland, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944,

Desiring to promote their mutual relations in the field of civil aviation and to conclude an agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories,

Have agreed as follows:

## ARTICLE - 1

## Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires,
(a) the term "aeronautical authorities" shall mean, in the case of India, the Director General of Civil Aviation and in the case of Ireland, the Minister for Tourism and Transport or in both cases, any person or body authorised to perform the functions currently exercised by the said authorities,
(b) the term "designated airline" shall mean an airline which the aeronautical authorities of one Contracting Party have designated in writing to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, in accordance with Article 3 of this Agreement,
(c) "Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or of the Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have been adopted by both Contracting Parties, and
(d) the terms "territory", "air service", "International air service" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Articles 2 and 96 of the Convention.

## ARTICLE - 2

## Grant of Traffic Rights

1. Each Contracting Party grants to the other Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the Annex thereto. Such services and routes are hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes" respectively.
2. Subject to the provisions of this Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights:-
(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
(b) to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes; and
(c) while operating an agreed service on a specified route, the airline designated by each Contracting Party shall also enjoy the right to embark and disembark, in the territory of the other Contracting Party at the point(s) specified for that route in the Annex to this Agreement, international traffic in passengers, cargo or mail.
3. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail destined for another point in the territory of that other Contracting Party.
4. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into and departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or operation and navigation of such aircraft while within its territory shall apply to aircraft of the designated airline of the other Contracting Party.
5. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, stay in and departure from its territory of passengers, crew, cargo and mail such as those regarding passports, customs, currency and health and quarantine shall apply to passengers, crew, cargo and mail carried by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party while they are within the said territory.

## ARTICLE - 3

## Designation of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party an airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
2. On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating author isation.
3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied to the operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.
4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorisations referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 2, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals. For the purpose of this paragraph, the expression "substantial ownership and effective control" means that in any case where the designated airline operates its services under this Agreement by entering into any agreement with the airline of any other country or the Government
or nationals of any other country, the Contracting Party designating the airline or its nationals shall not be deemed to have substantial ownership and effective control of the designated airline, unless the Contracting Party or its nationals, in addition to the ownership of the major part of the assets of the designated airline, have also:-
(i) effective control in the management of the designated airline, and
(ii) ownership and effective control of the major part of the fleet of aircraft and equipment used in the operation of the services.
5. Notwithstanding para 4 above, the designated airline may, if it so desires, operate its services under this Agreement with leased aircraft provided that the airline has effective control of the operation of these services.
6. The airline so designated and authorised may begin to operate the agreed services at any time provided that the provisions of this Article and of Articles 10 and 12 have been complied with.

## ARTICLE - 4

## Revocation or Suspension of Operating Authorisation

Each Contracting Party reserves the right to itself to revoke or suspend the operating authorisation or impose such appropriate conditions as it may deem necessary in the case of failure by a designated airline of the other Contracting Party to comply with the laws and regulations of the former party, or in case, in the judgement of the former party, there is a failure to fulfil the conditions under which the rights are granted in accordance with this Agreement. This shall also apply if the provisions of paragraph 4 of Article 3 are not complied with. Such action shall be taken only after consultation between the Contracting Parties in accordance with Article 15 of this Agreement unless an immediate suspension of operations or imposi-. tion of conditions is necessary to avoid further infringement of laws, regulations or provisions of this Agreement.

## ARTICLE - 5

## Charges

The charges imposed in the territory of one Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party shall not be higher than those paid by the aircraft of an airline of the first Contracting Party engaged in similar international air services.

## ARTICLE - 6

## Customs Charges and Procedures

1. Aircraft operated on international services by the designated airline of either Contracting Party, as well as their regular equipment, supplies of fuels and lubricants and aircraft stores already on board, introduced into or taken on board such aircraft and intended solely for use by or in such aircraft shall, with respect to all Customs Duties, inspection fees and other duties or taxes, be accorded in the territory of the other Contracting Party, treatment not less favourable than that granted by the other Contracting Party to its own airline operating scheduled international air services or to the airlines of the most favoured nation.
2. The same treatment shall be accorded to spare parts entered into the territory of either Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on international services by the designated airline of the other Contracting Party.
3. Neither Contracting Party shall be obliged to grant to the designated airline of the other Contracting Party exemption or remission of customs duty, inspection fees or similar charges unless such other Contracting Party grants exemption or remission of such charges to the designated airline of the first Contracting Party.
4. The regular airborne equipment as well as the materials and supplies retained on board the aircraft of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs authorities of such territory.

## - 6 -

5. Materials referred to in paragraph (1), (2) and (4) of this Article may be required to be kept under Customs supervision or control.
6. Passengers in direct transit across the territory of either Contracting Party shall be subject to no more than a very simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from Customs duties and other similar taxes.

## ARTICLE - 7

## Fair and Equal Opportunity

There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

## ARTICLE - 8

## Interest ' of Designated Airlines

In operating the agreed services, the airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the same route.

## ARTICLE - 9

## Capacity

1. Prior to the commencement of the agreed services, the capacity to be provided and the frequency of services to be operated shall be agreed between the aeronautical authorities of the two Contracting Parties in accordance with the principles laid down in Articles 7 and 8 and the provisions of this Article and shall be confirmed by an exchange of diplomatic notes.
2. Any increase in the capacity to be provided and/or frequency of services to be operated by the designated airline of either Contracting Party shall be based primarily on the estimated requirements of traffic between the territories of the Contracting Parties and shall be subject to agreement between the two aeronautical authorities. Pending such agreement or settlement, the capacity and frequency entitlements already in force shall prevail.

## ARTICLE - 10

## Provision of Operating Information

The aeronautical authorities of each Contracting Party shall cause their designated airline to communicate to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, as far in advance as practicable, prior to the inauguration of the agreed services, the type of service, the type of aircraft to be used, the flight schedules, tariff schedules, and all other relevant information concerning the operation of the agreed services including such information as may be required to satisfy the aeronautical authorities that the requirements of this Agreement are being duly observed. The requirements of this Article shall likewise apply to any changes concerning the agreed services.

## ARTICLE - 11

## Provision of Statistics

The aeronautical authorities of each Contracting Party shall cause their designated airline to furnish to the aeronautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried during each month on the agreed services to and from the territory of that other Contracting Party, showing the countries of origin and destination and the points of embarkation and disembarkation of such traffic. Such statistics shall be furnished as soon as possible after the end of each month.

## ARTICLE - 12

## $\underline{\text { Tariffs }}$

1. For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which these prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.
2. The tariffs to be charged by the designated airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
3. The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article shall, if possible, be agreed between the designated airlines of the two Contracting Parties and such agreement shall, wherever possible, be reached using the procedures of the International Air Transport Association.
4. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.
5. This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph (4) of this Article, those tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (4), the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.
6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (5), the aeronautical authorities of one Contracting Party give the aeronautical authorities of the other Contracting Party notice of disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (3), the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to establish the tariff by mutual agreement.
7. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (4) of this Article, or on the establishment of any tariff under paragraph (6), the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 17 of this Agreement.
8. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve (12) months after the date on which it would otherwise have expired.

## ARTICLE - 13

## Transfer of Earnings

1. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right to remit to its head office, the excess over expenditure of receipts earned in the territory of the first Contracting Party. Such remittances, however, shall be made in any convertible currency, and subject to, and in accordance with the foreign exchange regulations of the Contracting Party in the territory of which the revenue accrued.
2. Such transfers shall be effected on the basis of the official exchange rate for currency payment, or where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange market rates for currency payment.
3. In case special arrangements ruling the settlement of payments are in force between the two Contracting Parties, the provisions of such arrangements shall be applied to the transfer of funds under paragraph (1) of this Article.

## ARTICLE -14

## Aviation Security

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm thal their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall, in particular, act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September, 1971.
2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
3. The Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph (3) above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on iteins, baggage, cargo and aircraft stores prior to and du:ing boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
6. Any departure from the provisions of this Article by the designated airline shall constitute grounds for the application of Article 4 of this Agreement.

## ARTICLE - 15

## Consultation

In a spirit of close collaboration, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall exchange views regularly on the application and interpretation of this Agreement.

## ARTICLE - 16

## Modification

1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may request consultation with the other Contracting Party; such consultation, which may be between aeronautical authorities and which may be through discussions or by correspondence, shall begin within a period of sixty (60) days of the date of the request. Any modifications so agreed shall come into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes.
2. Modifications to routes specified in the Annex may be made by direct agreement between the competent aeronautical authorities of the Contracting Parties and shall be confirmed by an exchange of letters.

## ARTICLE - 17

## Settlement of Disputes

If any dispute arises relating to the interpretation or application of this Agreement, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiations between themselves, failing which the dispute shall be referred to the Contracting Parties for settlement.

## ARTICLE - 18

## Applicability of Multilateral Air Conventions

1. To the extent to which they are applicable to the air services established under this Agreement, the provisions of the Convention shall remain in force in their present form between the Contracting Parties for the duration of the Agreement, as if they were an integral part of the Agreement, unless both Contracting Parties ratify any amendment to the Convention, which shall have duly come into force, in which case the Convention as amended shall remain in force for the duration of this Agreement.
2. If a general multilateral air convention comes into force in respect of both Contracting Parties, the provisions of such convention shall prevail.

## ARTICLE - 19

## Annex

The Annex attached to this Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all references to the Agreement shall include reference to the Annex, except where otherwise expressly provided.

## ARTICLE - 20

## Entry into Force

After compliance with necessary constitutional procedures, this Agreement shall come into force on the date of signature.

ARTICLE - 21

## Termination

Either Contracting Party may at any time give written notice to the other Contracting Party of its desire to terminate this. Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. If such notice is given, this Agreement shall terminate
twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

Done at New Delhi this 20th day of February 1991 in four originals, two each in the English and Hindi languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.



## ANNEX

## SECTION - I

Routes for the designated airline of Ireland.

| Points of <br> Origin | Intermediate <br> Points | Points in <br> India | Points Beyond |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Points in <br> Ireland | To be agreed <br> later | Two points to be <br> specified later | To be agreed <br> later |

Note: Two points shall not be served on the same flight in the territory of the other Contracting Party.

## SECTION - II

Routes for the designated airline of India

| Points of <br> Origin | Intermediate <br> Points | Points in <br> Ireland | Points Beyond |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Points in <br> India | To be agreed <br> later | Two points to be <br> specified later | To be agreed <br> later |

Note: Two points shall not be served on the same flight in the territory of the other Contracting Party.

## भारत सरक्र

और
आयरलेण्ड सरक्नर
के बीच
हवाई परिवहन करार

भारत सरकार और आयरलैड सरकार जिन्हे इससे आगे "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है,

जो कि 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो मे हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अतर्राष्ट्रीय रिविल विमानन के अभिसमय के संबधित पक्ष है,

और जो नागर विमानन के क्षेत्र में अपने परस्पर संबच बढ़ाने और अपने संबंधित क्षेत्रो के बीच तथा उनसे परे हवाई सेवाए स्थापित करने के प्रयोजन से एक करार को \{तिम रूप देना चाहते है,

निम्नलिखित पर सहमत हुए है ।

## अनुदेद-1

परिभाषा

1. जब तक कि प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो, इस प्रयोजन के लिए:

ॠकई "वेमानिकी प्राधिकारी" पद का आशय भारत के मामते मे नागर विमानन के महानिदेशक और आयरलेण्ड के मामले मे पर्यटन और परिवहन मत्री और दोनो के संबध मे किसी भी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था से है जिसे इस समय उक्त प्राधिकारियो दारा प्रयुक्त कायो को निष्पादित करने के लिए प्राथिक्त किया गया है,

ईब "नामित विमान कपनी" पद से आशय ऐसी हवाई कफनी से है जिसे एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियो ने लिखित र्प मे, इस प्रकार के अनुछेद-3 के अनुसार दूसरे सीविदाकारी पक्ष के वेमानिकर प्राधिकारियो को नामित किया हो,

औग " अभिसमय " का आशय 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताष्कर के लिए प्रस्तुत अंतर्रष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है ओर इसमे उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अतर्गत स्वीकृत कोई भी अनुबश तथा उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 और 94 के अधीन अनुर्बधो या अभिसमय में किया गया कोई भी सशोधन होगा और

पघः " राज्य क्षेत्र ", " विमान सेवाए ", अतर्रष्ट्रीय विमान सेवाए" और "यातायात से भिन्न प्रयोजनो के लिए एक्ना" पदो से आशय वही है जो कि अभसमय के अनुछेद 2 और 96 मे के ।

## बनुचेदेद-2

यातायात अधिकारो की मुतरी

1. प्रत्येक सीविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इसके साथ लगे अनुर्बं मे निर्दिष्ट मार्ग पर विमान सेवाए स्थापित करने के प्रयोजन के लिए वर्तमान करार मे निर्दिष्ट अधिकार मजूर करते है 1 ऐसी सेवाओं ओर मागों को इसके आगे "सम्मत सेवाऐ" और "निर्दिष्ट मागों" के रूप मे संबोधित किया गया है ।
2. वर्तमान करार के उपबरो के अधीन प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दारा नामित विमान केनी को निम्नलिखित अधिकार होगे :

रकई बगेर उतरे हुए दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ना.,
§खः यातायात से भिन्न प्रयोजनो के लिए दूसरे सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग में स्कना,
§गई निर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवा का प्रचालन करते समय, दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में

वर्तमान करार के अनुर्बथ में निर्दिष्ट मार्ग के किसी स्थान पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र को/वहा से अथवा अन्य राज्यो के क्षेत्र को/ वहा से यात्रियो, माल तथा डाक के अंतर्राष्ट्रीय यातायात को उतारने या चढ़ाने के प्रयोजन के लिए रकना ।
3. इस अनुच्छेद के पेरागाफ 2 में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझ्रा जाएगा कि उससे एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कपनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से यात्रियो, माल और डाक को चढ़ाने का विशेषाधिकार मिल गया है ।
4. किसी भी सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग मे, अंर्राष्ट्रीय विमान नेवीगेशन पर परिचालन कर रहे किसी भी वायुयान या विमान सेवा के प्रवेश करने या वहा से प्रस्थान करने अथवा उसके भू-भाग के मीतर ऐसे वायुयान या विमान सेवा के परिचातन से संबंधित कानून, विनियम और अनुदेश दूसरे सीविदाकारी पक्ष की नामित विमान केपनी के वायुयान और सम्मत सेवाओ पर भी लागू होगे 1
5. किसी एक सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग में यात्रियो, क्रू, कार्गो और डाक की प्रविष्टि, वहा ठहरने ओर वहा से प्रस्थान करने और इसी प्रकार पासपोटो, सीमा शुत्क, मुद्रा ओर स्वास्य ओर संगरोथ पर लागू होने वाले नियमो और विनियमो, उक्त भू-भाग के मीतर दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के विमान दारा लाए गए यात्रियो, क्रू, कार्गो और डाक पर भी लागू होगे ।

## अनुद्ढेद-3

एयरलाइनो को नामित करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस करार के अनुबंध के अनुसार लिखित रूप मे, सम्मत सेवाओ का परिचालन करने के प्रयोजन के लिए दूसरे संविवाकारी पक्ष को सूंचित करते हुए एक विमान

कपनी नामित करने का अधिकार होगा ।
2. ऐसा नामाकन प्राप्त हो जाने के बाद संविदाकारी पक्ष, अपने वैमानिकी प्राधिकारियो के माध्यम से और इस अनुच्छेद के पैरा 3 और 4 के उपबरो के अधीन, बगेर विलंब के नामित विमान कपनी को उपयुक्त परिचातन संबधी प्राधिकार मजजूर करेगा ।
3. एक संविदाकारी पक्ष के वेमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा नामित विमान कपनी से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह संतुष्ट करे कि वह उन कानूनो और विनयमो के अधीन विहित शतों को पूरा करने के योग्य है जो ऐेसे प्राशिकारियो द्वारा अभिसमय के उपबधो के अनुरूप सामान्यतः अतराष्ट्रीय विमान सेवाओ के प्रचालन पर लागू करते है । .
4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस अनुछेद के पैराडा़ कर मे निर्दष्ट परिचालन प्राथिकरण को मजूर करने से अस्वीकार करने अथवा किसी भी नामित एयरलाइन दारा अनुछ्छेद 2 मे निर्दिष्ट उन अधिकारो के प्रयोग करने पर यथोचित प्रतिबंष लगाने का अधिकार होगा जहा उसे यह संतोष न हो कि नामित विमान कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व ओर प्रभावी नियत्रण उस विमान कम्पनी को नामित करने वाले सीविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिको में निहित नहीं है । इस पेराग्राफ के प्रयोजन के लिए वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियत्रण का तात्पर्य है कि किसी भी हालत मे जहा नामित विमान कम्पनी करार के अथीन अपनी सेवाए, किसी अन्य देश या सरकार की एयरलाइन या किसी अन्य देश के राष्ट्रिको के साथ कोई और करार करके प्रचालित करती हे तो यह माना जाएगा कि इस विमान कम्पनी को नामित करने वाले संवदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिको के पास उस विमान कम्पनी का वास्ताविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण नही है, जब तक कि संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिको के पास, नामित विमान कम्पनी की सपत्ति के बड़े भाग के स्वामित्व के अलावा, निम्नलिखित भी न हो :

Q1 नामित विमान कम्पनी के प्रबच-मडल में प्रभावी नियत्रण, और
8. सेवाओ के परिचालन मे प्रयुक्त विमानो और उपस्करो के बेड़े के बड़े भाग का स्वामित्व ओर उस पर नियत्रण 1
5. उक्त पैरा-4 के बावजूद यदि नामित विमान कम्पनी चाहे तो पट्टे पर लिए गए विमान से भी इस करार के अर्थीन सेवाए प्रचालित कर सकती है वशर्त उक्त विमान कम्पनी का इन सेवाओं के प्रचालन पर वास्ताविक नियत्रण हो ।
6. इस प्रकार नामित और प्राधिकृत विमान कम्पनी किसी भी समय सम्मत सेवाओ का प्रचालन शुरू कर सकती हे बशर्ते कि अनुछ्छेद-10 और 12 का अनुपालन कर लिया गया हो 1

बनुछेद-4
परिचालन औषिकरों को प्रतिसहुत करना अथवा रोक देना

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित प्राधिकार को प्रतिसंद्दृत करने अथवा इन अधिकारो के उपयोग को रोक देने का अधिकार होगा अथवा ऐसे अधिकारो के उपयोग पर ऐसी शते लगाने का अधिकार होगा जो वह उचित समझे यदि विमान कम्पनी उस संविदाकारी पक्ष के कानूनो तथा विनियमो का अनुपालन करने मे असमर्थ रहती के, अथवा पहले संविदाकारी पक्ष के विचार से वह उन शतो को पूरा करने मे असमर्थ है जिसके तहत् इस करार के अथीन उसे अधिकार दिए गए थे 1 यदि अनुच्छेद- 3 के पेरा- 4 मे दिए गए उपर्बो का पालन नही किया जाता तो भी यह लागू होगा 1 ऐसी कार्रवाई, हस करार के अनुच्छेद-15 के अनुसरण मे दोनो संविदाकारी पक्षो के बीच आपसी परामर्श के बाद की जाएगी बशर्ते ऐसा तात्कालिक निलबन अथवा शर्तो का लगाया जाना कानूनो और विनियमो अथवा इस करार के उपबंधो का आगे और उत्लघन न समझा जाए ।

## उनुदुद- 5

## प्रभार

किसी एक सीवदाकरी पष्ष के भू-भाग मे, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के विमान दारा हवाई अड्डे ओर अन्य विमानन सुविधाओो के प्रयोग के लिए लिये जाने वाले चार्जेस, ऐसी ही अतराष्ट्रीय विमान सेवाजो मे लगी राष्ट्रीय रयरलाइन के विमानो दारा अदा किए जा रहे चार्जस से अधिक नहीं होगे ।

## उनुदेद्व-6

सीमा-युत्क प्रमार बोर प्रतक्रिया

1. एक संविदाकरी पक्ष की नामित विमान कम्पनी दारा जतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओ पर परिचालित किए जा रहे विमान तथा विमान मे रसे गए उनके नियमित उपस्कर,ईंचन ओर नेहको की सप्ताई ओर विभान मे पहले से रसे गए विमान भण्डार जिसका उपयोग केवल उसी विमान के लिए हो, के साथ दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पहुचने पर, सभी प्रकार के सीमा-शुत्क,निरीक्षण शुत्क ओर अन्य शुल्को या करो के संबंध मे वेसा ही व्यवहार किया जाएगा जेसा कि दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी दारा अपनी अनुसूचित अतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओो या निक्टसे राष्ट्र की नामित विमान कम्पनी के साथ किया जाता है ।
2. किसी भी सबवदाकारी पक्ष की नामित विमान कमनी द्वारा अतर्राष्ट्रीय सेवाओं में लगाए गए विमानो के रस-रसाव या मरम्पत के लिये दोनो मे से किसी भी दूसरे सिविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में प्रविष्ट जीतिरक्त क्ल-पुजो पर भी उसी प्रकार का व्यवहार लागू होगा ।
3. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पष्ष को दूसरे सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुत्क या ऐसे ही प्रभारो मे तब तक छूट या मापी देने का अधिकार नहीं

होगा जब तक कि दूसरा सीविदाकरी पक्ष उस प्रथम सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को ऐसे प्रभारो से छूट या माफी न दे दे ।
4. दोनो में से किसी भी संविदाकारी पष्ष के विमान में रसा हुआ विमान से संबीित नियाित उपसकर और सामगी एव भण्डार ऐेसे क्षेत्र के सीमा-घुल्क प्राधिकारियो के अनुमोदन से ही दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उतारा जा सकेगा ।
5. इस अनुछेद के पेरात्राफ 1 , 2 और 4 मे उत्लिखित सामग़ी सीमा-शुल्क प्राधिकारियो के पर्येकेष्षण या नियत्रण में रसी जारगी ।
6. दोनो में से किसी भी सीवदाकाती पक्ष के भू-भाग के आर-पार जाने वाले यात्रियो पर बहुत ही साधारण नियंत्रण लागू होगा । सीचे पारगमन में रसा हुआ सामान ओर कार्गो सीमा-शुत्क और अन्य ऐेसे ही करो से मुक्त रहेगा ।

अनुचेद-7
उचित ओर समान अवसर

दोनो संविदाकारी पष्षो की एयरलाइनो को अपने-अपने भू-भागो के बीच निर्दिष्ट मागो पर सम्मत सेवाओं के परिचालन के लिये उचित ओर समान अवसर प्राप्त होगे ।

## बनुछेदे 8

ना1मत विमान क्पनी का हित

सम्मत सेवाओो के परिचालन मे, प्रत्येक सीविदाकारी पक्ष की एयरलाइन, दूसरे संविदाकारी पक्ष

की एयरलाइन के दितो को ध्यान में रसेगी ताकि उसके दारा उसी मार्ग पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर अनुचित प्रभार न पड़े ।

अनुछेद-9
शमता

1. सम्मत सेवाओ को शुरू किए जाने से पूर्व, उपलब्ध कराए जाने वाले क्षमता और परिचालित की जाने वाली आवृत्तियो के संबच में अनुच्छेद- 7 और 8 में निर्दिष्ट सिदातो और इस अनुच्छेद के उपबथो के अनुसार दोनो देशो के संविदाकारी पक्षो के वेमानिकी प्राधिकारियो के बीच आपसी सहमति होगी और इसकी पुष्टि राजनयिक टिप्पणियो के माध्यम से की जाएगी ।
2. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी दारा उपलब्ध कराई जाने वाली वियान क्षमता और/या परिचालित की जाने वाली सेवाओ की आवृत्ति मे कोई भी वृदि मुख्यतः संविदाकारी पक्षो के भू-भागो के बीच यातायात की अनुमानित आवश्यकताओ पर आथारित होगी और यह दोनो वेमानिकी प्राधिकारियो के बीच आपसी सहमति के अपीन होगी । ऐसी सहमीत या समाधान होने तक पहले से लागू विमान क्षमता और आवृत्ति का अधिकार कायम रहेगा ।

## बनुक्छेद-10

## सूचना प्रचातन की व्यवस्था

प्रत्येक संबिदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कम्पनी से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वेमानिकी प्राधिकारियो को, जितना पहले समव हो, सम्मत सेवाओ के शुरू होने से पूर्व, सेवा की किस्म, प्रयोग मे लाए जाने वाले विमान के प्रकार, उडान अनुसूचियो, टेरिफ अनुसूंचियो और सम्मत सेवाओ के परिचालन से सबंधित सभी प्रासगिक सूचना देगी और ऐेसी

सूचना भी देगी जिससे वेमानिकी प्राधिकारी इस बात से सतुष्ट हो सके कि वर्तमान करार की सभी अपेक्षाओ का विधिवत् ढग से पातन किया जा रहा हे । इस अनुछ्छेद की अपेक्षाए इसी तरह सम्मत सेवाओ से संबिधत किन्ही भी परिवर्तनो पर लागू होगी ।

## उुनुदेद-11

ज्काक्टो की व्यवस्या

वोनो में से किसी मी संविदाकारी पक्ष के वेमानिकी प्राधिकारी जपनी नामित विमान कम्पनी से अपेक्षा करेगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वेमानिकी प्राधिकारियो को उस दूसरे सीविदाकारी पष्ष के भू-भाग को या वहा से अधवा उस भू-भाग से होकर प्रत्येक मास के दोरान सम्मत सेवाओ पर वहन किए गए यात्रियो से संबंधित आकड्डे, जिसमे प्रारंभिक और गततव्य स्यान तथा यात्रियो के विमान मे सवार होने ओर उतरने के स्थानो को भी दिसाया गया हो, प्रस्तुत करेगी । ऐसे आक्डे यथासमव प्रत्येक मास के अंत मे प्रस्तुत किए जायेगे ।

## अनुदेदेद-12

## टेरिक

1. निम्नलिखित पेराडापे के प्रयोजन के लिए "टेरिफ" शब्द से तात्पर्य है यात्रियो ओर मात के बहन के लिए अदा की जाने वाली लागत और वह शत्तें जिनके अधीन यह लागत लागू होती के, इनमे एजेसी ओर अन्य अनुषगी सेवाओो के लिए लागते ओर शर्ते शामिल है, परन्तु डाक के बहन के लिए पारिश्रोमक ओर जात्ते शामिल नहीं है ।
2. एक सीविवाकरी पक्ष की विमान कम्पनी दारा दूसरे सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग तक अधवा बहा से वहन के लिए चार्ज किए जाने वाले टेरिफ उचित स्तर पर निशिचत किए जालंगे ओर इसकी

परिचालन लागत, उचित लाभ ओर अन्य एयरलाइनों के शुल्को सहित सभी सबधित तत्वो का यथोचित ध्यान रसा जाएगा ।
3. इस अनुछेद के पैराग्राफ मे निर्दिष्ट टेरिफे के संबच में यदि सभव हो, दोनो संविदाकारी पक्षो की नामित विमान क्प्पनियो के बीच सहमति होगी ओर ऐेसी सहमति जहा भी संभव हो,अतर्राम्द्रीय विमान परिवहन संगठन की प्रक्रियाओ का उपयोग करके दी जाएगी ।
4. इस प्रकार सम्मत टेरिफ दोनो सीविदाकारी पक्षो के वेमानिकी प्राणिकारियो को इन टैरिफो के शुरू होने की प्रस्तावित तारीब से कम से कम नब्बे 90 दिन पहते अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाऐगे । विशेष मामलो मे, संबिित प्राधिकारियो की सहमति से यह अवाधि कम की जा सकती हे ।
5. यह अनुमोदन शी़्र ही जारी किया जाना चाहिए । यदि टेरिक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने के तीस 30 दिन की अवधि के भीतर कोई भी वैमानिकी प्राधिकरी अपनी अस्वीकृत व्यक्त नहीं करता तो इस अनुछेद के पेरा 4 के अनुसार यह टैरिफ अनुमोदित किए गए समले जाएगे । प्रस्तुत किये जाने वाली अवाध घटाये जाने की श्थितित मे, जेसा कि पैरागाए मे व्यवस्था है, वैमानिकी प्राधिकारी हस बात पर सहमत हो सकते है कि वह अवधि जिसके मीतर कोई मी अस्वीकृति अधिसूचित की जानी है, तीस 30 दिन से कम होगी ।
6. यदि इस अनुछेद के पेता 3 के अनुसार अथवा इस अनुछेद के पैरा 5 मे गई अवाि में टेरिफ पर सहमति न हो सके तो कोई एक वेमानिकी प्राधिकारी दूसरे वेमातिकी प्राधिकारी को इस अनुछेद के पैरा 3 के उपबधो के अनुसार अपनी अस्वीकृति का नोटिस देगा ओर दोनो संविदाकारी पक्षो के वेमानिकी प्राधिकारी आपसी परामर्श करके परस्पर स्बीकृति से टेरिफ निर्थारित करने का प्रयल्न करेंगे ।
7. यदि वेमानिकी प्राधिकारी, इस अनुछेद के पेरा रु के अंतर्गत उन्हे प्रस्तुत किए गए किसी टेरिफ के अनुमोदन अधवा पैरा के जतर्गत किसी टेरिक के निर्थारण पर सठमत न हो सके तो यह मामला इस करार के अनुछेद-17 के उपबंथो के अनुसार निपटाया जाएगा ।
8. इस अनुछेद के उपबंधो के अनुसार, जब तक नए टेरिफ का निर्थारण नही कर लिया जाता तब तक पहले से लागू टेरिक घतते रहेंगे । तथापि, इस पेरा के आधार पर टेरिफ को उस तरील के बाद 12 महीनो से आधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता ।

## बनुछेद-13

## आर्जित राजस्व का हस्तन्तरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविवाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को, उसके भू-भाग में व्यय के बाद प्राप्त बचत राश़ अपने मुस्यालय को हस्तातरण करने का अधिकार प्रदान करेगा । ऐसी निधियो का हस्तातरण उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार होगा जिसके भू-भाग में ाजस्व आर्जित किक्या गया है ।
2. ऐसा हस्तातरण वहां की सरकारी विनिमय दर से कि्या जारगा अथवा जहा कहीं सरकरी विनिमय दर लागू न हो वहा चालू भुगतान के लिए प्रचलित विदेशी मुद्रा की मार्क्ट दर से किया जाएगा ।
3. ऐसे मामलो में जहा दोनो सीविदाकारी पद्षो के बीच भुगतान के हस्तातरण के लिए विशेष व्यकस्था है, सक्षम प्राधिकारियो के पूर्व अनुमोदन के अपीन ऐसी व्यवश्था के उपबचो को, इस अनुछेद के पेरार।। के अंतर्गत शिधियो के हस्तातरण पर लागू किया जारगा ।
4. अतर्राष्ट्रीय कानून के जतर्गत अपने अधिकारो और दायित्वो के अनुरूप, संविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की पुष्टि करते है कि गेर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के विस्द नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे मे एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग हे । ऐसा करते समय, संविदाकारी पक्ष, 14 सितम्बर, 1963 को तोकिस्यो मे हैस्ताक्षरित, विमान मे किए गए अपरतधो एवं कुछ अंन्य कृत्यो से संबधित अभिसमय, 16 सितम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गेर-कानूनी अभिग्राहण निवारण अभिसमय और 23 सितम्बर, 1971 को मांट्रियत में हस्ताक्षरित नागर विमानन सुरक्षा के विस्द गेर-कानूनी कार्रवाई उन्मूलन अभिसमय के प्रावधानो के अनुर्प कार्रवाई करेगे।
5. अनुरोथ किए जाने पर संविदाकारी पक्ष गेर-कानूनी रूप से सिविल विमानो का अभुत्राण किए जाने ओर ऐसे विमान, उसके यात्रियो, कार्मको, हवाई अड्डो ओर हवाई दिकचालन सुविधाओं की सुरक्षा के विस्द कोई गेर-कानूनी कृत्यो से बचाव के लिए या नागर विमानन की सुरक्षा के विस्द किसी अन्य थमकी के लिए सभी संभव सहायता प्रदान करेगे ।
6. दोनो पक्ष अपने परस्पर संबोो मे, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन दारा स्थापित और अंतरराप्द्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुर्बथ के रूप मे नामित नागर विमानन सुरक्षा उपरंधो के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेगे जहा तक वे इन पक्षो पर लागू होते है, वे अपने पजीकृत विमान प्रचालको या ऐसे विमान के प्रचातको जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थायी निवास उनके भू-भाग मे है तथा उनके क्षेत्र में हवाई अड्डा के प्रचालको से यह अपेक्षा करेगे कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबधो के अनुरूप कार्य करे ।
7. दोनो में से प्रत्येक सीविदाकारी पक्ष इस बात से सहमत है ईि ऐसे विमान प्रचालको से, दूलरे

संविदाकारी पक्ष दारा उस सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग मे प्रवेश करते समय वही से प्रस्थान करते समय या उसमे रहते समय अपेक्षित ऊपर पेराग्राफ 3 मे उल्लिखित विमानन सुरक्षा उपर्षो का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है । प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष यह सुनिशिचित करेगा कि उसके भू-भाग में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियो, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओ, सामान, कार्गो तथा विमान भण्डार विमान में लादने से पूर्व या उसके दोरान उसकी जाच करने के लिए प्रभावी उपाय किये गए है । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष बतरे का मुकाबता करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए दूसरे संवदाकारी पक्ष दारा किए गए अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा।
5. जब कभी किसी सिविल विभान के गेर-कनूनी अभिश्रहण की चमकी या इस प्रकार की धमकी की घटना होती के या किसी रेसे विमान, उसके यात्रियो और कार्मिो,हवाई अड्डो ओर हवाई दिकचालन सुविथाओ की सुरक्षा के विस्द्र कोई गेर-कानूनी कार्य किया जाता हे तो संविदाकारी पक्ष एक दूसरे को संचार सुविवाए प्रदान करके और इस प्रकार की घटनाओ अथवा उनके बतरे को तुरत समाप्त करने के लिए आवश्यक सभी उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेगे ।
6. नामित विमान कम्पनी दारा इस अनुच्छेय के प्रावधानो से हटने की स्थिति मे, इस करार का अनुछेछ-4 लागू करने का आधार बन जाएगा ।

## बन्दुेद-15

## पराम्य

1. संविदाकारी पक्षो के वेमानिकी प्राधिकारी निक्ट सहयोग की भावना से समय-समय पर इस करार के कार्यान्वयन और अनुपालन के सेबच में एक दूसरे से परामर्श करेगे ।

## उनुदेढ-16

## सीझोषन

1. यदि दोनो संविदाकारी पक्षो में से कोई भी पष्ष इस करार के किसी मी उपबंच में सशोषन

करना चाहे तो वह दूसरे संविदाकारी पष्ष से इस प्रकार के विचार विमर्श के लिए अनुरोष कर सकता है, ऐसा विचार-विमर्श जो कि वेमानिकी प्राधिकारियो के बीच होगा और जो आपस में बातचीत तथा पत्राचार के माध्यम से क्यिा जा सकेगा, इसके साठ 60 दिनो की अवधि के भीतर शुरू किया जा सकेगा । इस प्रकार सम्मत कोई भी संशोषन तभी लागू होगा जब राजनायक माध्यमो से टिप्पणियो के आदान-प्रदान दारा इसकी पुष्टि कर दी जाए ।
2. अनुबच मे विनिर्दिष्ट मागों मे संशोथन दोनो संबिदाकारी पक्षो के वेमांनकी प्राधिकारियो के बीच सीधी सहमति से किया जा सकेगा ओर पत्रो के आदान-प्रदान दारा हसकी पुप्टि की जाएगी ।

## उनुछेद-17

विवादो का निपटान

यदि इस करार के निर्वचन अथवा प्रवर्तन के सबथ मे कोई मतभेद पेदा होता के तो दोनो संविकारी पष्षो की नामित विमान कम्पनिया इसे आपसी बातचीत दारा निपटाने का प्रयत्न करेंगी ओर ऐसा न हो सकने की स्थिथित में यह विवाद समड्रोते के लिए संविदाकारी पदो को भेजा जाएगा।

## अनुदेद्य-18

## बहुपदीय हवाई अभिसमय का ताग किया जाना

1. जहो तक अभिसमय के उपबधों का इस करार के अतर्गत स्थापित विमान सेवाओं पर लागू होने का प्रश्न हे , ये उपवंध दोनो सीविदाकारी पक्षो के बीच इस करार की अवाधि के दोरान इस प्रकार लागू रहेंगे जेसे कि वे इस करार के अमिन्न अग हो बडर्ता कि दोनो संविदाकारी पक्ष हस आभिसमय


#### Abstract

: 15 :

के किसी संशोधन का अनुसमर्थन नहीं करते जो कि लागू हो गया हो और उस स्थिति मे यथा सशोधित आभिसमय इस करार की अवधि के दोरान लागू रहेगा ।


2. यदि दोनो संविदाकारी पक्षो के सम्बन्य में सामान्य बहुपक्षीय विमान सेवा अभिसमय लागू होता है तो ऐेसे अभिसमय के उपक्च लागू रहेंगे ।

उनुदेद्य-19

## ब

इस करार के साथ संलग्न अनुबच इस करार का भाग समझ्ञा जाएगा ओर जहा अन्यथा अपेशक्षित न हो, करार के सभी सदमो में उक्त अनुबच के लिए संदर्भ मी शागिल होगे ।

## अनुछेद-20

ताग होना

आवस्यक संवेधानिक प्रक्रियाओो के अनुपालन के पश्चात् यह करार हस्ताक्षर की तारीब से तागू हो जाएगा ।

## उनुछेद-21

## समाप्त करना

दोनो में से कोई भी सविदाकारी पक्ष किसी भी समय इस करार को समाप्त करने हेतु दूसरे संविदाकरी पक्ष को अपने निर्णय के बारे में लिखित नोटिस दे सकता है, ऐसा नोटिस साथ-साथ ही अतरर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी मेजा जाएगा । ऐसे मामलो मे, दूसरे संविदाकरी पक्ष दारा

```
: 16 :
```

नोटिस प्राप्त होने की तरीस से बारह 12 मास के बाद यह करार समाप्त हो जाएगा, बशर्त कि यह नोटिस जापसी सहमति से इस अवाधि से पहते की वापस नहीं ले लिया जाता । दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा नोटिस की प्राप्ति की सूचना न मिलने की सिथित मे, यह नोटिस अंतर्राप्ट्रीय नागर विमानन संगठन दारा नोटिस प्राप्त होने के चोदह ई। 14 दिनो बाद उस संविदाकारी पक्ष दारा प्राप्त किया मान लिया जाएगा ।

दिनाक 20 फरवरी, 1991 को नई दिल्ली में चार मूल प्रतियो पर, जिनमे से दो-दो प्रतिया औओगेजी ओर हिन्दी भाषाओं मे हे, हस्ताष्षर किये गए ओर ये सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक है। इनके बिवेचन में कोई भी मत-भेद होने की स्थिति में अग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

( ठरमोठन धवन
नागर वियानन राज्य मतन्री
क्षे मारत सरक्षर

( जरार्ड कातिन्स 1

विदेश म मत्री
क्ते बायरतेण्ड सरकर

आायरतेण्ड की नामित विमान कम्पनी के लिए मार्ग

| उदुगय स्थान | मष्यवर्ती स्यान | पारत के स्यान | परे के स्यान |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| आययतेण्ड के स्थान | बाद में सठमीत | बाद में निर्दिष्ट | बाद में सहमति होनी है। |
|  | होनी के । | किए जाने वाले |  |
|  |  | दो स्थान |  |

नोट: दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग में उसी उड़ान पर दो स्थानो पर सेवाई प्रचालित नहीं की जाएगी ।

## सड-11

भारत की नामित विमान कम्मनी के लिए मार्ग

| उदुगम स्थान | मष्यवर्ती स्यान | आयरतेण्ड के स्यान परे के स्यान |
| :--- | :--- | :--- |
| भारत के स्थान | बाद में सहमति | बाद में निर्दिष्ट |
|  | बाद में सहमति होनी है। |  |
|  | होनी हे । | किए जाने वाले |
|  | दो सथान |  |

नोटः- दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग में उसी उड़ान पर दो स्थानों पर सेवाऐ प्रचालित नही की जाएगी ।

